

नाबार्ड अर्थसहाय्य ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (RIDF-XXXI) अंतर्गत मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मच्छिमारांना मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत...

महाराष्ट्र शासन

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: मत्स्यवि-११२५/प्र.क्र.८४/पदुम-१४

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक : २० मार्च, २०२६

वाचा :-

- १) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.मत्स्यवि-२०१७/प्र.क्र.४५/पदुम-१४, दि.२३.०२.२०१७.
- २) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.मत्स्यवि-१११८/प्र.क्र.३७/पदुम-१४, दि.०६.०३.२०१८.
- ३) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.मत्स्यवि-१११८/प्र.क्र.८३/पदुम-१४, दि.२७.१२.२०१८
- ४) राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड), पुणे यांचे पत्र क्र.NB/MRO/SPD/RIDF-१२१A(Maharashtra)/१९ iSC/२०२५-२६, दि.०४.०३.२०२६
- ५) कृषि व पदुम विभाग शासनपत्र दि.१८.०३.२०२६ अन्वये दि.१३.०३.२०२६ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त.

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्रातील सागरी जिल्हयांमध्ये असणाऱ्या मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मच्छिमारांसाठी कमी प्रमाणात मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत. नाबार्डकडून ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (RIDF) योजने अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अर्थसहाय्यामधून, राज्यातील सागरी जिल्हयामध्ये मासळी उतरविण्यासाठी मच्छिमारांना मुलभूत सोयी-सुविधा देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

२. नाबार्ड (NABARD) कडून ग्रामिण पायाभूत विकास निधी (RIDF) अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या कर्जामधून मासेमारी बंदरे व लहान धक्के बांधण्यात येतात. सदर योजनेअंतर्गत नाबार्ड हिस्सा ९५ टक्के व राज्य हिस्सा ५ निधी पुरविण्यात येतो.

३. त्यानुषंगाने मुंबई उपनगर, पालघर व रायगड या तीन जिल्ह्यांत मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मच्छिमारांना मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कामांचा ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मालिका-३१ (RIDF-XXXI) अंतर्गत समावेश करणेबाबत, वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार वित्त विभागाने दि.२३.१२.२०२५ च्या पत्रान्वये, वरील तीन्ही कामांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) व अंदाजपत्रके महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड), पुणे यांना सादर करण्यात आली होती. महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड), पुणे यांनी वाचा

येथील दि.०४.०३.२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये, ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मालिका-३१ (RIDF-XXXI) अंतर्गत मुंबई उपनगर, पालघर व रायगड या तीन जिल्ह्यांत मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मच्छिमारांना मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कामांना रु.१००००.०० लक्ष इतक्या रक्कमेचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यास अंतरिम मान्यता देण्यात आली आहे. मा.मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१३.०३.२०२६ रोजी उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पडली. सदर बैठकीमध्ये नाबार्ड मालिका-३१ अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रकल्पासाठी रु.११४५.८१ लक्ष इतक्या प्रकल्प किंमतीस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली. उच्चाधिकार समितीने दिलेली मान्यता व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेली तांत्रिक मान्यता विचारात घेऊन या तीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

नाबार्ड अर्थसहाय्यित ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (RIDF) योजनेंतर्गत नाबार्ड मालिका-३१ मध्ये नाबार्ड कडून प्राप्त होणाऱ्या अर्थसहाय्यातून ट्रॉम्बे, जि.मुंबई उपनगर, लागेबंदर, जि.पालघर व दिधी, जि.रायगड या तीन जिल्ह्यांत मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मच्छिमारांना मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्याच्या ०३ प्रकल्पांसाठी रु.१०४४९.२१ लक्ष (अक्षरी रुपये एकशे चार कोटी एकोणपन्नास लक्ष एकवीस हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

रु.लक्षात

| अ. क्र. | प्रकल्पांचे नाव | अंदाजपत्रकीय किंमत |
|---------|--|--------------------|
| १) | ट्रॉम्बे, ता.कुर्ला, जि.मुंबई उपनगर येथे मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मच्छिमारांना मुलभूत सोयी सुविधा पुरविणे. | ५७१६.४७ |
| २) | लागेबंदर, ता.वसई, जि.पालघर येथे मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मच्छिमारांना मुलभूत सोयी सुविधा पुरविणे. | २०८९.५० |
| ३) | दिधी, ता.श्रीवर्धन, जि.रायगड येथे पाईल जेट्टीचे बांधकाम करणे तसेच मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मच्छिमारांना मुलभूत सोयी सुविधा पुरविणे. | २६४३.२४ |
| | एकूण | १०४४९.२१ |

२. नाबार्ड अर्थसहाय्यित ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (RIDF) योजनेंतर्गत नाबार्ड मालिका-३१ मध्ये एकूण प्रकल्प किंमत रु.१०४४९.२० लक्ष (अक्षरी रुपये एकशे चार कोटी एकोणपन्नास लक्ष वीस हजार फक्त) यापैकी नाबार्ड कडून रु.१००००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये शंभर कोटी फक्त) इतका निधी प्राप्त होणार आहे. उर्वरित रु.४४९.२१ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी एकोणपन्नास लक्ष एकवीस हजार फक्त) इतका राज्य हिस्सा असणार आहे.

३. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा यांनी या कामांसाठी आवश्यक ना-हरकत परवानगी प्राप्त करून घेण्यात याव्यात. सदरहू प्रकल्पांतर्गत झालेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचे दावे विहित प्रपत्रात वेळच्या वेळी नाबार्डकडे

सादर करण्यात यावेत. तसेच झालेल्या खर्चाचा व कामांचा दर तिमाही आढावा घेऊन याबाबताचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा.

४. ट्रॉम्बे, जि.मुंबई उपनगर, लागेबंदर, जि.पालघर व दिघी, जि.रायगड या तीन मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मच्छिमारांना मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्याच्या कामांचे Recapitulation Sheet, या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेले आहेत. सदर अंदाजपत्रकानुसार काम करण्याची जबाबदारी आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) व प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेची असेल.

५. हा शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त सहमती, नियोजन विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.२२३/का.१४३१, दि.०२.०६.२०२५ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६६३/२०२५/व्यय-२, दि.०१.१२.२०२५ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२६०३२०१३३९१३८७०१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(किशोर जकाते)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- २) मा.उप मुख्यमंत्री (नगर विकास), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा.उप मुख्यमंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) मा.मंत्री (मत्स्यव्यवसाय), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ५) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ६) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ७) सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ८) प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ९) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- १०) आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
- ११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई
- १२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई
- १३) सह आयुक्त (सागरी/निमखार/भूजल), आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, मुंबई
- १४) प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई
- १५) उपसंचालक (सागरी), आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, मुंबई
- १६) सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी
- १७) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१/२ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर
- १८) वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थसंकल्प-१५/अर्थोपाय/अर्थबळ), मंत्रालय, मुंबई
- १९) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- २०) निवडनस्ती (पदुम-१४)

Annexure - A

| Name of Work :- Providing infrastructural Facility to Fish Landing Center at Trombe | | | | | | |
|--|--|---------------|---|------------|-----------------------|---------------------|
| Executing Agency :- Maharashtra Fisheries Development Corporation | | | | | | |
| RECAPITULATION SHEET | | | | | | |
| Sr. No. | Particulars of Scope | | Unit Rate Norms Rs. Per (Sq.mt./Meter/ Lumpsum etc) | | Cost Rs. | |
| | | | | | Component Wise | Total |
| i | i) Work Portion | | | | | |
| A | A Building Component | 209.09 | Sq.M. | 22,000 | 45,99,980 | |
| ii | Net Mending Shed (1Nos)- G.F. | 70.30 | Sq.M. | 30,000 | 21,09,000 | |
| | | 279.39 | Sq.M. | | 67,08,980 | |
| | | | | | Sub Total (A1) | 67,08,980 |
| iii | Electrification | Internal | | 5% of (A1) | 3,35,449 | |
| | | External | | 6% of (A1) | 4,02,539 | |
| | | High mast | 4 No. | 282687 | 11,30,748 | |
| | | Elect.Poles | 30 No. | 13524 | 4,05,720 | |
| | | | | | 22,74,456 | |
| | | | | | Sub Total (A2) | 22,74,456 |
| | Water Supply & Sanitary Works | | | 5% of (A1) | 3,35,449 | |
| | Rate as per MJP SSR 203.24 | 1,50,000 | Lit | 16,12,485 | 16,12,485 | |
| | | | | | 19,47,934 | |
| | | | | | Sub Total (A3) | 19,47,934 |
| | Total Building Component (A1+A2+A3) | | | | Sub Total (A) | 1,09,31,370 |
| V | Dredging | | | | 2,00,81,200 | |
| vi | Pile Jetty | | | | 31,46,53,881 | |
| vii | Sloping Hard | | | | 1,40,97,836 | |
| viii | Reclamation & Revetment | | | | 3,73,94,204 | |
| ix | Cement Concrete Surface (CPWD) | 1950.00 Sq.m. | | 3,105 | 60,54,750 | |
| X | Concrete Road | 1750.00 Sq.m. | | 3,105 | 54,33,750 | |
| xi | Repairing to Existing Bund | | | | 83,60,731 | |
| | | | | | 40,60,76,352 | |
| | | | | | Sub Total (B) | 40,60,76,352 |
| xii | Laboratory Testing Charges | | | | 8,76,150 | |
| xiii | Royalty Charges | | | | 61,16,766 | |
| xiv | Hydraulic Studies, Environmental Studies & Clearance | | | | 42,00,000 | |
| | | | | | 1,11,92,916 | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | Sub Total (C) | 1,11,92,916 | |
| | | | | | | | |
| | Total Civil Cost (T)= (A) + (B)+ (C) = | | | | | 42,82,00,638 | |
| D | PROVISION | | | | | | |
| | (i) Contingencies 3% on (1) | | | | | 1,28,46,019 | |
| | (ii) GST 18% on (1) | | | | | 7,70,76,115 | |
| | (iii) Price Escalation 5% on (1) | | | | | 2,14,10,032 | |
| | (iv) Labour Insurance 1% on (1) | | | | | 42,82,006 | |
| | (v) Centage Charges 5% on (1) | | | | | 2,14,10,032 | |
| | (vi) Project Management Consultancy 1.5% on (1) | | | | | 64,23,010 | |
| | | | | | | Sub Total (D) | 14,34,47,214 |
| | TOTAL PROJECT COST (TPC) (A+B+C) | | | | | 57,16,47,851 | |
| | Say Rs. Lakhs | | | | | 5,716 | |

Annexure - B

Name of Work :- Providing Infrastructural Post harvesting facilities to fisherman at Fish Landing centre at **Lagebandar ,Tal. Vasai, Dist. Palghar.**

| RECAPITULATION SHEET | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|
| Sr.No. | Sub-estimate Title | | Amount (Rs.) |
| Part A (Civil Work) | | | |
| 1. | Approach Road and Fish Drying Platform (427.69 m x 12m) | | 14,05,04,379 |
| 2. | Sloping Ramp (48.5 m x 15m) | | 1,23,40,111 |
| 3. | Solar Light (200 Nos) | | 27,04,800 |
| | | Sub Total | 15,55,49,290 |
| Part A (Royalty and Testing Charges) | | | |
| | Royalty Charges | | 44,60,309 |
| | Testing Charges | | 6,51,625 |
| | | Sub Total | 51,11,934 |
| | | Total (A+B) | 16,06,61,224 |
| | Add 1% Insurance towards Labour | | 16,06,612 |
| | Add 3% for Contigencies | | 48,19,837 |
| | Add 18% G.S.T. on Roads & Bridges | | 2,89,19,020 |
| | Add 5% for Escalation Charges | | 80,33,061 |
| | Environment Clearance Charges | | 25,00,000 |
| | Add 1.5% for PMC Charges | | 24,09,918 |
| | | Total | 20,89,49,673 |
| | | Say Rs. Lakhs | 2089.50 |

Annexure - C

| Sr.No. | Name of Work: Construction of Pile Jetty and other allied facilities to fishermen at Dighi, Taluka Shrivardhan, District Raigad. | | |
|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| RECAPITULATION - SHEET | | | |
| | Sub-estimate Title | | Amount (Rs.) |
| 1. | Jetty (Stright Portion 121.20 x 930) (Sloping Portion 40.135 x 9.30) | | 16,55,27,541.49 |
| 2. | Boat Yard (50m x 30m) | | 3,49,77,235.00 |
| 3. | Solar Light (6m Pole 35 Nos.) | | 4,73,340.00 |
| | | Sub Total (A) | 2,00,978,116.49 |
| | Part B (Royalty and Testing Charges) | | |
| | Royalty Charges | | 23,86,195.00 |
| | Testing Charges | | 4,11,375.00 |
| | | Sub Total (B) | 27,97,570.00 |
| | | Total (A+B) | 20,37,75,686.49 |
| | Add 1% Insurance towards Labour on Part A | | 20,09,781.16 |
| | Add 3% for Contingencies Part A Part B | | 61,13,270.59 |
| | Add 18% G.S.T. on Roads & Bridges Part A+ Part B | | 36,679,623.57 |
| | Add 5% for Escalation Charges Part A+ Part B | | 1,01,88,784.32 |
| | Environment Clearance Charges | | 25,00,000.00 |
| | Add 1.50% for Project Management Consultancy Charges on Part A + Part B | | 30,56,63,529 |
| | | Total | 26,43,23,781.44 |
| | | Say Rs. | 26,43,23,781.00 |